छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

क्र. 973 /PFMS/ब-4/चार, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11 / 10 /2021

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव/ विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:- केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (CSS) की राशि विमुक्त करने संशोधित प्रक्रिया लागू किए जाने हेतु पृथक बजट शीर्ष खोले जाने के संबंध में।

सन्दर्भ:-भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग का ज्ञाप क्रमांक F.No. 1 (13) / PFMS / FCD / 2020 दिनांक 23/03/2021 एवं छ.ग. शासन वित्त विभाग का ज्ञाप क्र. 739/04-00012/वित/ब-4/2021 दिनांक 01/09/2021

---ooo---

भारत सरकार के संदर्भित कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 23/03/2021 द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (CSS) की राशि विमुक्त करने संशोधित प्रक्रिया लागू की गई है। उक्त ज्ञाप में दिये गये निर्देशानुसार केंद्र प्रवर्तित योजना हेतु राज्य बजट में केन्द्रांश एवं राज्यांश के लिए पृथक पृथक बजट शीर्ष खोले जाने हैं।

2. वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 01/09/2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके अनुसार वित्त विभाग में बजट प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 05/11/2021 निर्धारित की गई है। विभागों द्वारा बजट प्रस्ताव तैयार करते समय भारत सरकार के निर्देशानुसार केंद्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश के लिए पृथक बजट शीर्ष खोले जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना है।

3. वर्तमान व्यवस्था में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के विस्तृत बजट अनुमान निम्नलिखित सेगमेंट कोड के अंतर्गत रखे जाते हैं -

1. 0701 केंद्र प्रवर्तित योजना सामान्य
2. 0702 केंद्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना
3. 0703 केंद्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना

योजना हेतु इन सेगमेंट कोड के अंतर्गत उद्देश्य शीर्ष व विस्तृत शीर्ष में राशि प्रावधानित की जाती है। सेगमेंट के अंतर्गत राज्यांश की राशि #99 प्रवर्तित योजनाएं -001 राज्य शासन का हिस्सा में दर्शायी जाती है।

4. वितीय वर्ष 2022-23 के तैयार किये जाने वाले बजट अनुमानों में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए केन्द्रांश तथा राज्यांश के लिए निम्नानुसार पृथक सेगमेंट कोड के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार किये जावे:-

1. 0701 केंद्र प्रवर्तित योजना सामान्य - केन्द्रांश
2. 0702 केंद्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना - केन्द्रांश
3. 0703 केंद्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना - केन्द्रांश
4. 0704 केंद्र प्रवर्तित योजना सामान्य - राज्यांश
5. 0705 केंद्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना - राज्यांश
6. 0706 केंद्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना - राज्यांश

योजना हेतु इन सुसंगत सेगमेंट कोड के अंतर्गत केन्द्रांश तथा राज्यांश के लिए आनुपातिक राशि उद्देश्य शीर्ष व विस्तृत शीर्ष में प्रस्तावित की जावे।

5. संशोधित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने हेतु उदाहरण एवं केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (0701 / 0702/ 0703) की सूची संलग्न है।

6. कृपया बजट प्रस्ताव उपरोक्तानुसार तैयार करने का कष्ट करें।

(शारदा वर्मा)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित विभाग

पृ. क्र. 974 /PFMS/ब-4/चार, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11 / 10 /2021

प्रतिलिपि,

1. **समस्त विभागाध्यक्ष** / बजट नियंत्रण अधिकारी, छत्तीसगढ़
2. **मुख्य सचिव** के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
3. **सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन, वित विभाग के स्टाफ आफिसर
4. **विशेष सचिव** / अपर सचिव / बजट संचालक, वित विभाग के निज सहायक
5. **समस्त संयुक्त सचिव** / उप सचिव, वित विभाग
6. **समस्त अवर सचिव** / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी / शोध अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, वित विभाग
7. **राज्य नोडल** अधिकारी, पी.एफ.एम.एस.,एस.पी.एम.यू., ब्लाक 1 प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
8. **राज्य सूचना** अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञानं केंद्र (NIC), महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
9. **प्रोग्रामर**, कंप्यूटर शाखा, वित विभाग को वित विभाग की वेबसाइट में अपलोड एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

(ऋषभ पराशर)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित विभाग

उदाहरण -

वर्तमान प्रक्रिया		संशोधित प्रक्रिया	
0701 **केंद्र प्रवर्तित योजना सामान्य**		*0701* **केंद्र प्रवर्तित योजना सामान्य - केन्द्रांश**	
(7660) महिला अपराध अनुसन्धान इकाई		**(7660) महिला अपराध अनुसन्धान इकाई**	
#01 -वेतन, भत्ते आदि		**#01** -वेतन, भत्ते आदि	
001 वेतन	1000	001 वेतन	600
003 महंगाई भत्ता	300	003 महंगाई भत्ता	180
006 मकान किराया भत्ता	200	006 मकान किराया भत्ता	120
योग उद्देश्य #01	**1500**	**योग उद्देश्य #01**	**900**
#03 यात्रा भत्ता		**#03** यात्रा भत्ता	
001 यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	200	001 यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	120
002 यात्रा भत्ता स्थानांतरण पर	100	002 यात्रा भत्ता स्थानांतरण पर	60
योग उद्देश्य #03	**300**	**योग उद्देश्य #03**	**180**
#25 सामग्री और पूर्तिया		**#25** सामग्री और पूर्तिया	
006 अन्य व्यय	200	006 अन्य व्यय	120
#99 प्रवर्तित योजनायें		**योग योजना (7660) (केन्द्रांश)**	**1200**
001 राज्य शासन का हिस्सा	800		
केन्द्रीय हिस्सा	**1200**	*0704* **केंद्र प्रवर्तित योजना सामान्य - राज्यांश**	
		(7660) महिला अपराध अनुसन्धान इकाई	
योग योजना (7660)	**2000**	**#01** -वेतन, भत्ते आदि	
		001 वेतन	400
		003 महंगाई भत्ता	120
		006 मकान किराया भत्ता	80
		योग उद्देश्य #01	**600**
		#03 यात्रा भत्ता	
		001 यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	80
		002 यात्रा भत्ता स्थानांतरण पर	40
		योग उद्देश्य #03	**120**
		#25 सामग्री और पूर्तिया	
		006 अन्य व्यय	80
		योग योजना (7660) (राज्यांश)	**800**